न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सम्मुख— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3117—दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनाक 30—7—2012 अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 442/अपील/1999—2000

सुगली पति रामकुमार कुशवाहा उम्र 60 वर्ष
निवासी ग्राम घूमा तहसील त्यौथर जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 सुरसती पत्नी गयादीन कुशवाहा
2 रामभरोसा पिता गयादीन कुशवाहा
3 रामकैलाश पिता गयादीन कुशवाहा
सभी निवासीगण ग्राम घूमा तहसील त्यौथर जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री संतोष कुमार सोनी, अभिभाषक आवेदक
श्री ए0 डी0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2-12-2015को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—7—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2— प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम घूमा तहसील त्यौथर स्थित भूमि सर्वे कमांक 401 रकबा 0.42 एकड़ व सर्वे कमांक 402/1 रकबा 7.45 एकड़ के भूमिस्वामी गयादीन तनय कुन्डा बिहारी थे, जो मृतक हो चुके है । इसी प्रकार तहसील न्यायालय में अनावेदकं कमांक 2 समयलाल भी मृतक हो चुके है । आवेदिका के अनावेदक कमांक 1 गयादीन ससुर है तथा अनावेदक कमांक 2 समयलाल पति है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है । रामकुमार आवेदिका के मौजूदा समय

में पति है । आवेदिका काछी जाति की महिला है और दूसरा विवाह करने पर औरत को अपने पूर्व पति के समस्त हक प्राप्त होता है । इस आधार पर आवेदिका द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत नामें के आधार पर नामांतरण की मांग की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–9–98 द्वारा आवेदिका के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया । इसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्यौथर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–4–2000 के द्वारा अपील समयबाह्य होने से निरस्त की गई । इस आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–7–12 द्वारा अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–9–98 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसको अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समयबाह्य होने के आधार पर खारिज किया गया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा समयावधि के बिन्दु पर विचार न करते हुये तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के मूल आदेश को निरस्त कर दिया, जबकि अनावेदकगण द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई अपील नहीं की थी और न ही अपर आयुक्त को तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है । अपर आयुक्त को केवल धार 5 पर विचार करना चाहिये था । इस कारण उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(2) आवेदिका एक मात्र वारिस होने से वसीयत नामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदिका के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया गया है तब से आवेदिका उक्त भूमि में भूमिस्वामी होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है, जिन

तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर आदेश निरस्त करने में भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से लिखित तर्क में निम्न आधार उठाये गये है :–

(1) गयादीन की मृत्यु सन् 1996 में होने के बाद सरपंच ग्राम पंचायत घूमा द्वारा जरिये नामांतरण पंजी कमांक 9 प्रस्ताव दिनांक 29–2–96 आदेश दिनांक 30–3–96 के माध्यम से उक्त भूमियां बजाय मृतक गयादीनके गैर निगरानीकर्तागण के नाम वारिसाना नामांतरण विधिवत इश्तहार प्रकाशित कराकर पटवारी प्रतिवेदन तथा आपत्ति मंगाकर स्वीकृत किया गया एवं तदनुसार अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया गया एवं मौके पर गैर निगरानीकर्तागण कृषि कार्य कर काबिज है ।

(2) आवेदिका द्वारा गैरनिगरानीकर्तागण को बिना पक्षकार बनाये उक्त भूमियों का नामांतरण अपने नाम करा लिया । मृतक गयादीन का सजरा ग्राम पंचायत घूमा से नहीं मगाया गया एवं वर्ष 96–97 का राजस्व अभिलेख नहीं देखा गया एवं अवैधानिक तरीके से नामांतरण स्वीकृत किया गया ।

(3) पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अनावेदकगण को जानकारी नहीं हुई जब खसरे की नकल के संबंध में जानकारी लेने पर उक्त जानकारी हुई । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया जो पूर्ण रूप से विधिसंगत है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि प्रथम तो आवेदिका द्वारा मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया । इसके साथ ही नायब तहसीलदार द्वारा मृत व्यक्तियों को तामील जारी की जाती रही, जबकि प्रथम दृष्टया ही आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन में ही यह अंकित था कि गयादीन एवं समयपाल मृत हो चुके है । इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया कि वसीयत व्यक्ति के मृत होने के

बाद ही प्रभाव में आती है । जब वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है तो यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता मृत हो चुका है इस ओर नायब तहसीलदार द्वारा ध्यान न दिया जाकर मृत व्यक्तियों के नाम सूचना तामील जारी की जाती रही, तामील न होने पर चस्पदगी से भी तामील जारी की गई, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, जबकि नायब तहसीलदार को चाहिये था कि वे गयादीन मूल भूमिस्वामी के वारिसानों की जानकारी पंचायत से लेते एवं सार्वजनिक इश्तहार जारी करते किन्तु उनके द्वारा ऐसा न कर विधि विरूद्ध आवेदिका के पक्ष में अपने प्रकरण कमांक 186/अ–6/96–97 में पारित आदेश दिनांक 30–9–98 को नामांतरण आदेश पारित किया गया । जिंसकी अपील अनावेदकगण द्वारा दिनांक 5–3–99 को प्रस्तुत की गई , जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र दिनांक 27–2–99 से 4–3–99 की अवधि मात्र 6 दिन के विलंब के आधार पर निरस्त कर दिया गया । जबकि अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वे न्यायहित में प्रकरण को समयावधि के बिन्दु पर खारिज न कर गुणदोष पर निर्णय पारित करते । किन्तु उनके द्वारा ऐसा न कर न्याय का दमन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–7–12 से यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किए जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार को वापिस भेजा गया कि वे प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर गुणदोष पर नियमानुसार निर्णय पारित करें ।

6/ मेरे द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–7–12 का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा उनके आदेश दिनांक 30–7–12 में निष्कर्ष निकाले गये है वे सही है जो इस आदेश का अंग होंगे । जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–7–12 के बिन्दु कमांक 8 में निकाले निष्कर्षों की पुष्टि करता हूँ । यद्यपि निकाले गये निष्कर्ष सही है किन्तु उनके द्वारा प्रकरण गुणदोष पर उभयपक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है , यह उचित नहीं है । क्यों कि संहिता की धारा 49 में दिसम्बर 2011

में हुए संशोधन के अनुसरण में अपील प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिनांक 30–7–12 के पैरा–8 में अंकित अंतिम टीप आदेश'' नायब तहसीलदार प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर, गुणदोष पर नियमानुसार निर्णय पारित करें'' । को निरस्त किया जाकर शेष आदेश दिनांक 30–7–12 को स्थिर रखा जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे संहिता की धारा 49 में दिसम्बर 2011 में हुए संशोधन के पालन में स्वंय अपने न्यायालय में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर नियमानुसार विधि अनुरूप आदेश पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दा0 रि0 हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर